

## 91वाँ संशोधन तथा मंत्रमिंडल सदस्यों की अधिकतम संख्या

### प्रलिस के लयः

जनहति याचका (पीआईएल), कैबनलत मंत्री, 91वाँ संशोधन अधनलयम, 2003

### मेन्स के लयः

जनहति याचका, संसद

### चरचा में क्यौं?

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कऱ गोवा के छह बार के मुख्यमंत्री तथा 50 साल स्नेधायक रहे प्रताप सहल राणे को लेकर दायर एक **जनहति याचका (Public Interest Litigation- PIL)** में उनके "कैबनलत मंत्री के पद की आजीवन स्थतल" को चुनौती देने से संबंधतल एक बहस योग्य मुददे को उठाया गया है ।

- जनहति याचका में तर्क दया गया है कऱ गोवा में 12 सदस्यीय कैबनलत है और राणे को कैबनलत मंत्री का दर्जा देने के परणलमस्वरूप कैबनलत सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो जाती है, जो संवधलन द्वारा नरधरतल अनवलर्य सीमा से अधिक है ।
- यह सीमा भारतीय संवधलन में 91वें संशोधन अधनलयम, 2003 द्वारा नरधरतल की गई थी ।

### प्रमुख बदल

### 91वाँ संवधलन संशोधनः

- संवधलन (91वाँ संशोधन) अधनलयम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मलतल कया गया जसके अनुसार, "कसी राज्य की मंत्रपरलषद में मुख्यमंत्री सहतल मंत्रयों की कुल संख्या राज्य वधलनसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहयल ।
  - इसमें यह भी प्रावधलन था कऱ कसी राज्य में मुख्यमंत्री सहतल मंत्रयों की संख्या 12 से कम नहीं होगी ।
- इसी तरह के संशोधन **अनुच्छेद 75 के तहत** भी कयल गए थे ।
  - इसके अनुसार, प्रधानमंत्री की नयुकुतल **राषुटरपतल** द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रयों की नयुकुतल राषुटरपतल द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी ।
  - मंत्रपरलषद में प्रधानमंत्री सहतल मंत्रयों की कुल संख्या **लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहयल ।**
- 91वें संशोधन का उददेश्य बड़ी कैबनलत और इसके परणलमस्वरूप सरकारी खजाने पर पड़ने वाले आरुथकल भार को रोकना था ।

### मंत्रपरलषदः

- **संवधलन का अनुच्छेद 74 मंत्रपरलषद** की स्थतल से संबंधतल है, जबकऱ अनुच्छेद 75 मंत्रयों की नयुकुतल, कार्यकाल, ज़मिमेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन तथा भतुते से संबंधतल है ।
- **मंत्रपरलषद में मंत्रयों की तीन श्रेणयों होती हैं, अरुथात् कैबनलत मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ।** इन सभी मंत्रयों में **प्रधानमंत्री** का पद सर्वोच्च होता है ।
  - **कैबनलत मंत्री:** ये केंद्र सरकार के महतुत्वपूरण मंत्रालयों जैसे- गृह, रक्षा, वतुतल, वदलश मामले आदल के प्रमुख होते हैं ।
    - कैबनलत केंद्र सरकार का मुख्य नीतल नरधरण नकलय है ।
  - **राज्य मंत्री:** इन्हें या तो मंत्रालयों/वभलगों का स्वतंत्र प्रभार दया जा सकता है या कैबनलत मंत्रयों के साथ रखा जा सकता है ।
  - **उप मंत्री:** ये कैबनलत मंत्रयों या राज्य मंत्रयों से संबंधतल होते हैं और उनके प्रशासनकल, राजनीतकल और संसदीय कार्यो में सहायता करते हैं ।

### जनहति याचकाः

- जनहति याचिका (PIL) का अर्थ है "जनहति" की सुरक्षा के लिये न्यायालय में दायर मुकदमे, जैसे- प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, नरिमाण संबंधी खतरे आदि।
  - कोई भी ऐसा मामला जिससे व्यापक रूप से जनता के हति प्रभावित होते हैं, का नविवरण न्यायालय में एक जनहति याचिका दायर करके किया जा सकता है।
- जनहति याचिका को किसी भी कानून या किसी अधिनियम में परभाषित नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या न्यायाधीशों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के हति के रूप में की गई है।
- जनहति याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
  - हालाँकि याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय की संतुष्टि के लिये यह साबित करना होगा कि याचिका सार्वजनिक हति में दायर की जा रही है, न कि एक निकाय द्वारा केवल मुकदमेबाजी के रूप में।
- न्यायालय मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता है या किसी भी सार्वजनिक रूप से जागरूक व्यक्तियों की याचिका पर मामले की शुरुआत हो सकती है।
- जनहति याचिका के तहत जिन मामलों पर विचार किया जाता है, उनमें से कुछ हैं:
  - बंधुआ मजदूरी से संबंधित मुद्दे
  - उपेक्षा बच्चे
  - श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना और अनौपचारिक श्रमिकों का शोषण
  - महिलाओं पर अत्याचार
  - पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी
  - खाद्य अपमिश्रण
  - वरिष्ठ और संस्कृतिका रखरखाव
- जनहति याचिका आंदोलन के युग की शुरुआत न्यायमूर्त पी.एन. भगवती द्वारा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 मामले में की गई।
  - इस मामले में यह माना गया कि सार्वजनिक या सामाजिक कार्रवाई समूह का कोई भी सदस्य जो वास्तविक रूप से कार्य करता है, उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) के रटि क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है।
  - जनहति याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उन व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ नविवरण की मांग कर सकता है जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न. निम्नलिखित में से उस कथन का चुनाव कीजिये, जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतरनहति सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है:

- (a) ऐसी सरकार के वरिद्ध आलोचना को कम-से-कम करने की व्यवस्था, जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिये नषिपादित करना कठिन है।
- (b) ऐसी सरकार के कामकाज में तेज़ी लाने की क्रियावधि, जिसके उत्तरदायित्व दिनि-प्रतदिनि बढ़ते जा रहे हैं।
- (c) सरकार का जनता के प्रत सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चति करने के लिये संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियावधि।
- (d) उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नयितरण हरासोनमुख दशा में है।

उत्तर: (C)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस